

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग
कार्यालय आदेश

सं०-प्र०/ऊर्जा कोर्ट केस-04/2025- 10

/पटना, दिनांक:- 04.02.2025

बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 (यथा संशोधित) के चतुर्थ अनुसूची के 'घ' में वर्णित प्रावधान के आलोक में ऊर्जा विभाग से संबंधित वैसे मामले, जिसमें SLP/LPA से संबंधित कार्रवाई अपेक्षित है अथवा SLP/LPA दायर किये जाने के बिन्दु पर निर्णय लिया जाना है, से संबंधित संचिकाओं के निष्पादन हेतु ऊर्जा विभाग, बिहार की ओर से श्री राज किशोर लाल, उप सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार को नामित किया जाता है।

2. उप सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना द्वारा SLP/LPA से संबंधित संचिकाओं के निष्पादन में बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 में वर्णित उक्त प्रावधान में विहित समय-सीमा का अनुपालन किया जाएगा।

प्रस्ताव में सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(मिन्टू कुमार),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:- प्र०/ऊर्जा कोर्ट केस-04/2025- 576 /पटना, दिनांक:- 04.02.2025

प्रतिलिपि:- विद्वान ^{महाविक्ता} महाविक्ता, बिहार/सचिव-सह-विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार/मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/सचिव के आप्त सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना एवं आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।